अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के खाद्य लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.07 से 31.3.2013

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(i) वर्तमान लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्न अधिकारी संस्थान के निदेशक व आहरण/संवितरण अधिकारी के पदो ंपर कार्यरत रहे।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	श्री अभिषेक जैन उपायुक्त कुल्लू	निदेशक	01.9.07 से 18.3.08
2	श्रीमती सुधा देवी उपायुक्त कुल्लू	निदेशक	19.3.08 से 08.7.09
3	केप्टन रणधीर सिंह सलूहरिया	निदेशक	08.7.09 से 31.3.13
4	श्री राजीव कुमार शर्मा	आहरण/संवितरण अधिकारी	01.4.07 से 18.5.12
5	श्री इन्द्र देव शर्मा	–यथोपरि–	19.5.12 से 31.3.13

(ii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि ₹ में
1	6	विभिन्न कोर्सों के लिए प्रशिक्षणार्थियों को अनियमित रूप से फीस की छूट प्रदान करना	1.34
2	7	स्काईंग एवं ऐडवैन्चर कोर्स के लिए प्रशिक्षणार्थियो ंसे फीस की वसूली न करना	0.19
3	8	NSS के प्रशिक्षणार्थियों से स्काईंग एवं ऐडवैन्चर कोर्स से सम्बन्धित फीस की बकाया का वसूली हेतु शेष पाया जाना	15.94
4	9	विभिन्न कोर्सो की फीस की वसूली न करना	0.46
5	11	प्रशिक्षणार्थियों से अनुमोदित दर से कम दर पर फीस लेने के कारण फीस की कम वसूली करना	0.48
6	12	विभिन्न संस्थाओं/फर्मों/प्रशिक्षणार्थियों से की वसूली न करना	0.73
7	14	विभिन्न कर्मचारियों/संस्थाओं को दी गई अग्रिम के समायोजन हेतु शेष पाया जाना	19.43

8	16	मै0 लाहौल आलू एवं सहकारी सभा समिति मनाली को दोहरा भुगतान करना	2.04
9	20	गोंल्डन जुबली स्की कप प्रतियोगिता पर तथा सोफट बाल एसोशियसन मण्डी को का अनियमित भुगतान करना	0.85

(iii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के सटिप्पण उत्तरों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापनार्थ उपलब्ध नहीं करवाये गये। इस सन्दर्भ में अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों के निपटारे हेतु संस्थान के उप–निदेशक से दिनांक 9.9.2013 को व्यक्तिगत तौर पर भी चर्चा की गई लेकिन संस्थान द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण में सम्मिलित अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के निपटारे हेतु आवश्यक कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को भेजे जाने सुनिश्चित किए जाए। यह प्रकरण आवश्यक जाँच एवं उचित कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है। गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित बकाया अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से हैः—

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/83

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–13	अनिर्णीत
4	पैरा–24	अनिर्णीत
5	पैरा–31	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2007

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत

5	पैरा—9	अनिर्णीत
6	पैरा—10	अनिर्णीत
7	पैरा—11	अनिर्णीत
8	पैरा—12	अनिर्णीत
9	पैरा—13	अनिर्णीत
10	पैरा—14	अनिर्णीत
11	पैरा—15	अनिर्णीत
12	पैरा—16 (1, 2)	अनिर्णीत
13	पैरा—17	अनिर्णीत
14	पैरा—18	अनिर्णीत
15	पैरा—19	अनिर्णीत
16	पैरा—20	अनिर्णीत
17	पैरा—21	अनिर्णीत
18	पैरा—22	अनिर्णीत
19	पैरा—23	अनिर्णीत
20	पैरा—24	अनिर्णीत
21	पैरा—25	अनिर्णीत
22	पैरा—26	अनिर्णीत
23	पैरा—27	अनिर्णीत
24	पैरा—28	अनिर्णीत
25	पैरा—29	अनिर्णीत
26	पैरा—30 (ए, बी, सी)	अनिर्णीत
27	पैरा—31	अनिर्णीत
28	पैरा—32	अनिर्णीत

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली हिमाचल प्रदेश के खाद्य लेखों (अवधि 01.04.07 से 31.3.2013) का वर्तमान अंकेक्षण श्री मोहिन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी, (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 25.6.13 से 14.8.13 के दौरान मनाली में किया

गया जिसके परिणाम आगामी अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है। आय की विस्तृत जाँच के लिये माह 7/07, 7/08, 6/09, 7/10, 5/11 व 6/12 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिये माह 7/07, 5/08, 3/10, 3/11, 8/11 व 7/12 के लेखों का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के निदेशक द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करवाने के लिये किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली के खाद्य लेखों (अवधि 01.04.07 से 31.3.2013) के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹22200/– किया गया। उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को संस्थान की WHMI सोसाईटी के लेखों व व्यवसायिक लेखों के अंकेक्षण शुल्क के साथ संकलित रूप से भिजवाने के लिये अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 994, दिनांक 5.10.13 द्वराा अनुरोध किया गया। संस्थान द्वारा अंकेक्षण शुल्क की कुल ₹40800/– को बैंक ड्राफ्ट संख्या 5299995 के0सी0 दिनांक 29.10.2013 द्वारा भेज दिया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली द्वारा दर्शाई गई संस्थान के खाद्य लेखों (अवधि 4/07 से 3/13) की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा **परिशिष्ट "I"** में दिया गया है।

(ख) संस्थान की वित्तीय स्थिति में गत अंकेक्षण अवधि के अन्तशेष को सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके कारण स्पष्ट किए जाए।

(ग) खाद्य लेखों की वित्तीय स्थिति की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा खाद्य लेखों की माहवार बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा वित्तीय स्थिति के साथ संलग्न Outstanding Charge व Outstanding Income की विवरणी में दर्शाए गए आंकड़ों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है तथा संस्थान द्वारा माह 3/2013 की उक्त विवरणियों की स्थिति नहीं दर्शाई गई है। अतः 31.3.2013 की बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(घ) खाद्य लेखों की अवधि 1.4.07 से 31.03.13 की रोकड़ वही व बैंक खाते की जाँच करने पर पाया गया कि प्रशिक्षणार्थियों से विभिन्न कोर्सों के लिए RTGS व NEFT द्वारा फीस प्राप्त की गई थी जिसकी प्रविष्टियाँ रोकड़ वही में उचित विवरण के साथ दर्ज नहीं की गई है। फलस्वरूप कौन सी फीस किस प्रशिक्षणार्थी से किस कोर्स हेतु प्राप्त की गई का सही सत्यापन नहीं हो पाया। अतः उक्त माध्यम से प्राप्त की गई फीस का रोकड़ में उचित विवरण दिया जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ङ) रोकड़ वही व बैंक खाते की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि कई मामलों में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा R.T.GS/NEFT से बैंक में फीस जमा कर दी गई लेकिन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कोर्स में भाग नहीं लिया। अतः ऐसे प्रकरणों में भी रोकड़ वही में प्रविष्टियाँ करके इनका सम्बन्धित खातो में मिलान किया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(च) खाद्य लेखों के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 6.6.09 को रसीद संख्या 9562 द्वारा श्री अभिशेक शर्मा से डुप्लीकेट प्रमाण पत्र की प्रति की फीस की ₹100/– प्राप्त की गई जिसकी रोकड़ वही में प्रविष्टि नहीं की गई है। अतः उक्त राशि की रोकड़ वही में प्रविष्टि करके अनुपालना से जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

(छ) संस्थान द्वारा खाद्य लेखों की रोकड़ वही में गत तीन वर्षों में आवश्यकता से अधिक राशि हस्तगत रखी गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः आवश्यकता से अधिक राशियों को हस्तगत रखने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

हस्तगत राशि

वर्ष

माह	2010–11	2011–12	2012–13
अप्रैल	176862	207539	660879
मई	107313	274400	673294
जून	2882	355689	582189
जुलाई	214067	373325	653383
अगस्त	213922	395461	585996
सितम्बर	306357	533380	4422332
अकतूबर	275871	498152	56414
नवम्बर	112355	571514	676843

दिसम्बर	146354	702349	388608
जनवरी	88509	695205	426292
फरवरी	192172	653098	371241
मार्च	134109	501467	426210

(ज) उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान द्वारा खाद्य लेखों की पुरानी रोकड़ वही (old cash book) व बैंक के अनुसार माह 4/07 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से दर्शाई गई है।

	₹		₹
रोकड़ वही का 1.04.07 को प्रारम्भिक शेष	195861	बैंक खाता सं0 10437696960 के अनुसार 1.4.07 को प्रारम्भिक शेष	135483.84
माह 4/07 के दौरान आय	(+)302702	माह 4/07 के दौरान जमा	(+)326002
योग	498563	ब्याज से प्राप्त राशि	(–) 72542
माह 4/07 के दौरान व्यय	(–)72542	माह 4/07 के दौरान भुगतान	(+) 27013
अन्तशेष	426021	अन्तशेष	415956.89

उपरोक्त वित्तीय स्थिति की अभिलेख के साथ जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा उपरोक्त अवधि की रोकड़ वही व बैंक पास बुक का मिलान किए बिना खाता संख्या 10433696960 में जमा ₹415956.89 में से ₹400000 का एफ0डी0आर0 संख्या 030709618544 में निवेश कर दिया गया तथा शेष बचे ₹15957 का खाता बन्द करके राशि को खाद्य लेखों के नए खाता संख्या 030164750941 में जमा कर दिया गया। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा 4/07 में रोकड़ वही में पृष्ठ संख्या 133 से पृष्ठ संख्या 187 पर वर्ष 2003–04 से सम्बन्धित के फुटकर व्यय की ₹550994/– का समायोजन/रिकपैन्ट किया गया परन्तु रोकड़ वही की प्रविष्टियों को न तो प्रभारी द्वारा और न ही आहरण व वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया। अतः अवधि 1.4.07 से 30.4.07 की रोकड़ वही व बैंक खाते को बन्द करके नई रोकड़ वही व बैंक खाता खोलने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वर्ष 2002–03 से सम्बन्धित बिल वाउचरों का सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/सत्यापन के बिना 4/07 में समायोजन करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ वही व बैंक का मिलान करके रोकड़ वही को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

5 **निवेशः–**

(क) खाद्य लेखों (अवधि 4/07 से 3/13) के अंकेक्षण के दौरान किए गए निवेशों का ब्यौरा **परिशिष्ट–II** में दिया गया है।

(ख) अवधि 2007–08 व 2008–09 के दौरान किए गए निवेशों की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा परिपक्वता पर मिलने वाली राशियों से सम्बन्धित अभिलेख को सही ढ़ंग से नहीं रखा गया था जिसके अभाव में निवेशित राशि की परिपक्वता पर प्राप्त राशि तथा नवीनीकरण की राशि की क्रमानुसार तथा सही ढ़ंग से जाँच नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख को बैंक से प्राप्त करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

(ग) अवधि 4/07 से 3/13 के दौरान किये गये निवेशों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार कुछ मामलों में परिपक्वता राशि व नवीनीकरण राशि में अन्तर पाया गया जिसके बारे में बैंक से छानबीन करने उपरान्त वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	F.D.R. Bank Name	Date of Maturity or Renewal	Maturity value	Renewal Value	Differance
1	30399111667 SBI	7.06.12	655390	645126	10264
2	30792629454 SBI	13.06.12	606486	596990	9496
3	30419853076 SBI	5.07.12	658082	647635	10447
4	30948146564 SBI	6.11.11	564679	557022	7657
		6.11.12	610382	599537	10845
				Total	**₹48709**

6 **विभिन्न कोर्सो के लिए प्रशिक्षणार्थियों को अनियमित रूप से ₹134580/– की फीस की छूट प्रदान करनाः–**

खाद्य लेखों के विभिन्न कोर्स से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–III** तथा **परिशिष्ट–IV** में दिये गये विवरण के अनुसार प्रशिक्षण शिवरों में भाग लेने वाले को प्रशिक्षणार्थियों को क्रमशः ₹35736 तथा ₹98844 अर्थात कुल ₹134580/– की फीस की छूट दी गई है जिस कर खाद्य नियमावली में कोई प्रावधान नही था। इस प्रकार

विभिन्न प्रशिक्षण शिवरों में प्रशिक्षणार्थियों को छूट देने कारण संस्थान को ₹134580/– की फीस की कम राशि प्राप्त हुई जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये कम प्राप्त की गई राशि की सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थियो ंसे वसूली की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 स्काईंग एवं ऐडवैन्चर कोर्स के लिए प्रशिक्षणार्थियो ंसे फीस की ₹19230/– की वसूली न करना:–

खाद्य लेखों के स्काईंग एवं ऐडवैन्चर कोर्स से सम्बन्धित फीस के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट –V (क)** के अनुसार उक्त कोर्सो के लिए प्रशिक्षणार्थियो ंसे ₹19230/– की वसूली नहीं की गई है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः बिना फीस प्राप्त किए प्रशिक्षणार्थियो ंको प्रशिक्षण देने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त फीस की राशि को सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थियो ंसे वसूल करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में बिना फीस प्राप्त किए प्रशिक्षणार्थियो को प्रवेश न दिया जाए।

8 NSS के प्रशिक्षणार्थियों से स्काईंग एवं ऐडवैन्चर कोर्स से सम्बन्धित फीस की बकाया ₹1594856/– का वसूली हेतु शेष पाया जाना:–

खाद्य लेखों के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा NSS के प्रशिक्षणार्थियों को स्काईंग एवं ऐडवैन्चर के विभिन्न प्रकार के कोर्स आयोजित करवाए गए थे जिनमें से **परिशिष्ट–V(ख)** के अनुसार कुछ कोर्सो की फीस की ₹1594856/– की वसूली की जानी बकाया है। अतः सम्बन्धित संस्थाओं से उक्त फीस की ₹1594856/– को शीध्र वसूल करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 विभिन्न कोर्सो की फीस की ₹46450/– की वसूली न करना:–

खाद्य लेखों के पर्वतारोहण कोर्स की फीस के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–VI** के अनुसार संस्थान द्वारा विभिन्न कोर्सो की फीस ₹46450/– की वसूली नहीं की गई है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः बिना फीस प्राप्त किए प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त फीस राशि को सम्बन्धित

प्रशिक्षणार्थियो ंसे वसूल कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में बिना फीस प्राप्त किए प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश न दिया जाए।

10 विभिन्न कोर्सो में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा फीस जमा करवाने पर कोर्सो में भाग न लेने के कारण उनकी फीस की ₹710250/– को समायोजित करना अथवा उनको फीस की राशि वापिस करनाः–

खाद्य लेखों के विभिन्न कोर्सो से सम्बन्धित फीस के अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट VII (क)** तथा **परिशिष्ट VII (ख)** के अनुसार विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों से फीस के रूप में क्रमशः ₹636450 तथा ₹173800 अर्थात कुल ₹710250 प्राप्त हुई है लेकिन इन प्रशिक्षणार्थियो ंने कोर्स में भाग नहीं लिया। अभिलेख की जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि ऐसे कुछ मामलों में प्रशिक्षणार्थियो से प्राप्त फीस की राशि को आगामी कोर्स में समायोजित किया गया है या फिर फीस की राशि को प्रशिक्षणार्थियों के मांगने पर कुछ अन्तराल के बाद उनको वापिस कर दिया गया है जबकि खाद्य लेखों की नियमावली में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि ऐसे मामलों में किस अवधि तक प्रशिक्षणार्थियों की फीस को आगामी कोर्स में समायोजन किया जा सकता है अथवा फीस को किस अवधि तक प्रशिक्षणार्थी को वापिस किया जा सकता है। अतः प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त फीस के कालातीत होने की अवधि के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 प्रशिक्षणार्थियों से अनुमोदित दर से कम दर पर फीस लेने के कारण फीस की ₹48760/– की कम वसूली करनाः–

प्रशिक्षणार्थियो ंसे प्राप्त फीस के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रशिक्षणार्थियों से अनुमोदित दर से कम दर पर फीस ली गई थी जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कम ली गई फीस की राशि की उचित माध्यम से वसूली करके खाद्य लेखों में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

Sr. No.	Name	Mess Register Page No.	Course duration	Approved fee	Fee collected	Less fee collected
1	Mrs. Anuja Awasthi	15	288 BMC 1-6-08 to 26-6-08	4500	-	4509
2	Mr. Ram Prakash	62	169 A.M.C 29-6-09 to26-6-07	4100	1025	3075

3	Sh. Dalip Singh	62	169 –do-	4100	1815	2285
4	Sh. Ashok Singh	41	295 B.M.C 1-9-09 to 26-9-09	3700	-	3700
5	Sh. Ram Krishan	41	-do-	3700	-	3700
6	Sh. Roshan Lal	41	-do-	3700	-	3700
7	Mr. Rajan Manish	Receipt No.10445	172 A.M.C. 29-6-10 to 26-7-10	7000	2100	4500
8	Mr. Sanjay Kumar	10458	297B.M.C. 1-5-10 to 26-5-10	6500	2000	4500
9	Mr. Rajesh	10461	299B.M.C. 1-7-10 to 26-7-10	6500	1500	5000
10	Mr. Sanjay Singh	10463	299-do-	6500	4500	2000
11	C.O. 5BNNCC	10477	299B.M.C. 1-7-10 to 26-7-10	6500	2000	4500
12	Sh. Anand Dehi Bhonsale	10484	172A.M.C 29-6-10 to 26-7-10	7000	100	6900
					Total	**₹48760**

12 विभिन्न संस्थाओं/फर्मों/प्रशिक्षणार्थियों से ₹73041/– की वसूली न करना:–

खाद्य लेखों के मैस (Mess) से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न संस्थाओं/फर्मों/प्रशिक्षणार्थियों जिनका ब्यौरा **परिशिष्ट–VIII** में दिया गया है, से विभिन्न बिलों के एवज में ₹73041/– प्राप्त नहीं की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित संस्थाओं/प्रशिक्षणार्थियों से उपरोक्त राशि की अतिशीध्र वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि ऐसे मामलों की दिनांक 12.2.2011 से पहले की विवरणी संस्थान द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त की गई फीस से सम्बन्धित अन्य अनियमितताएं:–

(क) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 7 पर दिनांक 8.5.08 को वाउचर संख्या 31 द्वारा फीस की ₹102406/– सरकारी कोष में जमा की गई जिसकी कोर्स से सम्बन्धित विवरणी व वास्तविक भुगतान रसीद अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वान्छित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

(ख) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 86 पर दिनांक 15.3.10 को वाउचर संख्या 990 द्वारा कर्नल पी0एस0 सेखों को स्की कोर्स की फीस की ₹3900/– वापिस की गई। उक्त राशि की प्राप्ति की प्रविष्टि तथा फीस वापिसी के सम्बन्ध में प्रशिक्षणार्थियो से वास्तविक पावती /रसीद

अंकेक्षण मे ंनहीं दिखाई गई जिसको की ढूंढ़कर अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

(ग) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 91 पर दिनांक 17.3.10 को फीस ₹54600/– बैंक ट्रांसफर द्वारा व्यवसायिक लेखों के खाते में जमा की गई जिसका विवरण तथा व्यवसायिक लेखों को ट्रांसफर करने का उद्देश्य अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाया गया। अतः वान्छित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(घ) मैस रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 56 पर बैंक ड्राफ्ट संख्या 679964 व बैंक ड्राफ्ट संख्या 657091 दिनांक 17.4.07 द्वारा रसीद संख्या 6955/23.4.07 के अन्तर्गत स्पैशल पर्वतारोहण कोर्स हेतु क्रमशः फीस की ₹187200 व ₹85800 प्राप्त की गई परन्तु उक्त राशि की बैंक व रोकड़ वही में प्रविष्टि नही ंपाई गई।

(ङ) मैस रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 21 पर चैक संख्या 107291 दिनांक 15.10.08 द्वारा 288 वें BMC Course के लिए फीस की ₹139000 प्राप्त की गई परन्तु उक्त राशि की बैंक में प्रविष्टि नहीं पाई गई।

(च) मैस रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 11 पर 283 BMC कोर्स के लिए Ashi S. Mirani से ली गई फीस की ₹7200/– को पाटिल धनश्री व कुलकर्णी त्रिपाठी के 278 वें कोर्स मे ंसमायोजित किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(छ) मैस रजिस्टर के पृष्ठ 12 पर Nisha Surendaran से 283वें BMC Course के लिए फीस की ₹1800 प्राप्त की गई तथा बकाया कोर्स की राशि को श्री पाटिल धनश्री व कुलकर्णी त्रिपाठी की फीस में समायोजित किया गया दर्शाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

14 विभिन्न कर्मचारियों/संस्थाओं को दी गई अग्रिम ₹1943896/– के समायोजन हेतु शेष पाया जानाः–

खाद्य लेखों के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा विभिन्न कर्मचारियों/संस्थाओं को समय–2 पर अग्रिम राशि दी गई थी जिसमें से दिनांक 31.3.13 को **परिशिष्ट–IX** के अनुसार अग्रिम ₹1943896/– समायोजन हेतु शेष थी। अतः उक्त राशि का समायोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

15 अग्रिम राशियों का विवरण दिए बिना ₹1618421/– का समायोजन/रिकूपमैन्ट करना:–

खाद्य लेखों के अभिलेख की जाँच करन पर पाया गया कि संस्थान द्वारा **परिशिष्ट–X** में दर्शाई गई ₹1618421/– के बिल/वाउचरों का समायोजन/रिकयूपमैन्ट किया गया लेकिन समायोजन के वाउचरों के साथ यह नहीं दर्शाया गया कि यह राशि किस अग्रिम से सम्बन्धित थी। अतः परिशिष्ट में दर्शाई गई राशियों के सम्बन्ध में अग्रिमों का ब्यौरा दिया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि रोकड़ वही में अग्रिम राशियों की प्रविष्टि के साथ यह नहीं दर्शाया जाता था कि अग्रिम राशि किस–किस उददेश्य के लिए कब–कब दी गई थी तथा किस–किस तारीख को समायोजित कर ली गई अपितु समायोजन करते समय केवल बिल/वाउचरों को रोकड़ वही में दर्शाया गया है जिस से कई मामलों में अग्रिम की अवधि व उद्देश्य का ही पता नहीं चल सका। अतः अग्रिमों का समायोजन करते समय अग्रिम की निकासी का भी विवरण दिया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 मै0 लाहौल आलू एवं सहकारी सभा समिति मनाली को ₹204760/– को दोहरा भुगतान करना:–

खाद्य लेखों के भुगतान वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि माह 7/2012 के दौरान मै0 लाहौल आलू एवं सहकारी सभा सीमित मनाली को वाउचर संख्या 1118 व 1119 द्वारा उनके बिल संख्या 2064 व 2065 के अन्तर्गत राशन की खरीद के लिए भुगतान किया गया। बिल/वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा वाउचर संख्या 1119 के दिनांक 30.6.12 अन्तर्गत उक्त फर्म को उनके बिल संख्या 1118 दिनांक 30.6.12 की ₹204760/– को दोबारा जोड़ दिया था। इस प्रकार उक्त फर्म को ₹204760/– का दोहरा भुगतान किया गया प्रतीत होता है जो कि कार्यालय स्तर पर एक गम्भीर लापरवाही का मामला है। निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी, पर्वतारोहण एवं सम्बन्ध खेल संस्थान मनाली को अंकेक्षण अधियाचना संख्या Fin(LA) MK Kullu 7/2013-958 दिनांक 10.7.13 द्वारा उक्त फर्म से दोहरे भुगतान की ₹204760/– को तुरन्त वापिस लेने के लिए अनुरोध किया गया परन्तु संस्थान द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक फर्म ने दोहरे भुगतान की राशि को वापिस नहीं लिया गया। अतः दोहरे भुगतान से सम्बन्धित प्रकरण में संस्था स्तर पर पूर्ण रूप आन्तरिक

छानबीन करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया ताए और आन्तरिक छानबीन के पश्चात यदि दोहरे भुगतान की पुष्टि हो जाती है तो उक्त राशि की वसूली हेतु तुरन्त आवश्यक कार्रवाई अमल मे लाई जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 बिना कोटेशनें आमन्त्रित किए खरीद करनाः–

(क) अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्नलिखित मामलों में खरीदी गई सामग्री से सम्बन्धित कोटेशने जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। अतः सम्बन्धित कोटेशने आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखानी सुनिश्चित की जाए।

माह	वा0सं0	बिल सं0	दिनांक	फर्म का नाम	सामान का नाम	राशि
7/07	413	12069	17.5.07	मै0 सूरज वेकर एण्ड कण्केक्सनर मनाली	बेकरी का सामान	7660
	415	12405	25.5.07	मै0 सूरज वेकर एण्ड कन्फेक्सनर मनाली	बेकरी का सामान	8014
7/07	417	086	25.5.07	मै0 शर्मा डेयरी एण्ड कन्फेकसर मनाली	पनीर, मक्खन	20533
	418	1248	2.6.07	मै0 शर्मा डेयरी एण्ड कन्फेकसर मनाली	पनीर, मक्खन	2859
3/10	1001	11902	18.2.10	मै0 शर्मा डेयरी एण्ड कन्फेकसर मनाली	घी, दूध, क्रीम	12925
	1002	11961	10.3.10	मै0 शर्मा डेयरी एण्ड कन्फेकसर मनाली	घी, दूध, क्रीम	9504
	1161	11988	22.3.10	मै0 शर्मा डेयरी एण्ड कन्फेकसर मनाली	घी, दूध, क्रीम	38524

(ख) इसके अतिरिक्त माह 8/11 के दौरान खाद्य लेखों से मै0 डी0के0 स्क्रीन सर्विस मनाली से निम्नलिखित बिलों द्वारा प्रिटिंग का कार्य किया गया। बिलों की जाँच पड़ताल करने पर पाया कि कार्य को जानबूझ कर अलग अलग दिनांक को करवाया गया ताकि निविदाओं को आमन्त्रित करने की औपचारिकता से बचा जा सके। अतः निम्न मामलों में किये गये

प्रिटिंग कार्य को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये तथा कृत कार्रवाई से आडिट को अवगत करवाया जाये।

माह	वा0सं0	बिल सं0	दिनांक	फर्म का नाम	कार्य का नाम	राशि (₹)
8/11	1244	5316	17.6.11	M/S D.K. Screen Service	प्रिटिंग	945
8/11	1245	5317	18.6.11	—यथोपरि—	प्रिटिंग	2835
8/11	1245	5369	25.6.11	—यथोपरि—	प्रिटिंग	945
8/11	1247	5370	25.6.11	—यथोपरि—	प्रिटिंग पेपर	1837

18 बिना आपूर्ति आदेश (Supply Orders) दिए सामग्री की खरीद करना:—

खाद्य लेखों के अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्नलिखित मामलों में विभिन्न फर्मों से राशन इत्यादि की खरीद की गई थी जिनके आपूर्ति आदेश (Supply Orders) अभिलेख में नहीं पाये गये। अतः इस खरीद के सम्बन्धित आपूर्ति आदेश (Supply Orders) ढूढ़ कर अभिलेख में रखे जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में दिखानी सुनिश्चित की जाये।

माह	वा0सं0	बिल सं0	दिनांक	फर्म का नाम	सामान	राशि
7/07	370	1650	15.6.07	मै0 एच0पी0 हाट्रीकलचर एण्ड मार्केटिंग प्रोसेसिंग यूनिट भून्तर	खाद्य सामान	26901
	369	1646	6.6.07	मै0 एच0पी0 हाट्रीकलचर एण्ड मार्केटिंग प्रोसेसिंग यूनिट भून्तर	खाद्य सामान	21196
	390	2063	26.5.07	मै0 सुप्रीम एजेसींज मनाली	राशन	47074
	392	2149	8.6.07	मै0 सुप्रीम एजेसींज मनाली	राशन	84813
	419	326, 327	23.5.07	मै0 लाहौल पोटेटो ग्रोअर कोओपरेटिव सोसाइटी मनाली	राशन	127243
	420	328	23.5.07	मै0 लाहौल पोटेटो ग्रोअर कोओपरेटिव सोसाइटी मनाली	राशन	33800
	421	78	24.5.07	मै0 लाहौल पोटेटो ग्रोअर कोओपरेटिव सोसाइटी मनाली	राशन	20940
3/10	1108	150	22.2.10	मै0 सलेकर मटन प्रोडकट मनाली	चिकन	2025

19 बिल/वाऊचर के अनुसार देय वास्तविक भुगतान में अधिक भुगतान करनाः—

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्नलिखित मामलों में बिल/वाऊचर के अनुसार वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की राशि उचित स्त्रोत से भरपाई की जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

माह	वा0सं0	दिनांक	फर्म का नाम	सामान का नाम/बिलसं0	भुगतान की गई राशि	वास्तविक राशि	अधिक भुगतान
3/10	1181	31.3.10	M/S Singh Chiken Corner Manali	मांस	2x125=250	250	
					9x105=995	945	
					1245	**1195**	**50**
3/10	1104	16.3.10	M/S Chadha Fruit Company Manali	फल	15x8.50=168	127.50	
					10x20= 200	200	
					8x29.50=236	236	
					1x36= 36	36	
					640	**600**	**40**
8/11	1380	12.8.11	M/S Shimla Automoblie		**7410**	**7360**	**50**
						योग	**140**

20 गोंल्डन जुबली स्की कप प्रतियोगिता पर ₹80000/– तथा सोफट बाल एसोशियसन मण्डी को ₹5000/– का अनियमित भुगतान करनाः–

(क) संस्थान द्वारा रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 115 पर दिनांक 10.3.11 को चैक संख्या 167823 दिनांक 10.3.11 द्वारा ₹80000/– का भुगतान गोल्डन जुबली स्की कप प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए किया गया दर्शाया गया है। उपरोक्त भुगतान खाद्य लेखों पर उचित प्रभार नहीं है इसके अतिरिक्त उक्त भुगतान से सम्बन्धित वाउचर भी जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः गोल्डन जुबली स्की कप प्रतियोगिता पर किए गए व्यय का प्रतियोगिता करवाने वाली संस्था से रिकयूपमैन्ट (Recoument) करवाया जाए अन्यथा सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर भुगतान को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 121 पर दिनांक 31.3.11 को वाउचर संख्या 1577 द्वारा ₹5000/– का भुगतान सोफट बाल एसोसिएसन मण्डी को सहायतार्थ किया गया जो कि खाद्य लेखों पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त भुगतान को नियमित करवाने हेतु सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति ली जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 बिजली के बिलों के भुगतान हेतु ₹71586/– का अनियमित व्यय करनाः–

रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 90 पर दिनांक 23.8.11 को वाउचर संख्या 1606 के अन्तर्गत ₹71586 का भुगतान हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड को कार्यालय के बिजली के बिल हेतु किया गया दर्शाया गया है जोकि खाद्य लेखों पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस भुगतान को सरकारी बजट से रिकूप किया जाए अन्यथा इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर खर्चे को नियमित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 गाड़ियों के पैट्रोल/मुरम्मत इत्यादि पर किए गए व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएः–

संस्थान के खाद्य लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि माह 8/2011 के दौरान विभिन्न गाड़ियों में पैट्रोल/मुरम्मत इत्यादि पर निम्नलिखित भुगतान किया गया जोकि खाद्य लेखों पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त व्यय की सरकारी बजट से रिकयूपमैन्ट की जाए

अन्यथा गाड़ियों पर पैट्रोल/मुरम्मत इत्यादि पर किये गये भुगतान को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये। इसके अतिरिक्त गाड़ियों की मुरम्मत के दौरान बदले गए कल पुर्जों का Dead Stock रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। अतः गाड़ियों के कलपुर्जों की Dead Stock में प्रविष्टियाँ करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।

(i) गाड़ियों के पैट्रोल पर किया गया व्यय

माह	रोकड़ वही पृ0सं0	वा0सं0	अवधि	गाड़ी सं0	राशि (₹)
8/11	79	1325 से 1346	4.5.10 से 26.3.11	एच0पी0–34–4514 एच0पी0–58–9500	29536
	80 से 81	1347 से 1400	4.1.11 से 28.1.11	–यथोपरि–	67447
	82 से 83	1403 से 1454	23.2.10 से 18.12.10	एच0पी0–58–9500 एच0पी0–34–3191	109765
	84	1455 से 1479	26.6.10 से 7.10.10	एच0पी0–58–9500 एच0पी0–34–4492	40215
	85 से 86	1480 से 1528	26.6.10 से 21.8.10	एच0पी0–58 ए–176 एच0पी0–34–4514	78802
	87 से 88	1529 से 1582	7.9.09 से 22.2.11	एच0पी0–58–0176 एच0पी0–34–3191	81144
	89	1583 से 1595	2.1.11 से 25.3.11	एच0पी0–58–0176	25413
				कुल योग	**432322**

(ii) गाड़ियों की मुरम्मत पर किया गया व्यय

वा0सं0	बिल सं0	दिनांक	फर्म का नाम	कलपुर्जों का नाम व गाड़ी सं0	राशि	टिप्पणी
1432	–	23.3.10	M/S Jai Kali Maa tyre works Mandi	7 tyre fitting HP 34-3191	490	पुराने टायरों की प्रविष्टि
1438	3633	23.4.10	M/S Highway	Wheel Pana	414	पुराने wheel

			motors Shamshi			pane
1439	135	26.4.10	M/S P.G. Auto mobilies	विभिन्न प्रकार के पुर्जे	10310	Dead Stock entry की प्रविष्टि
1496	3107	31.12.10	M/S Shimla Auto mobilies Ner Chock	H.P.-58A-0176	22750	Dead Stock Entry
1587	878	23.2.11	M/S Snow view Automobiles Pvt. Ltd. Shimla	H.P.-58A-0176	10200	Dead Stock Entry
1345	3382	24.3.11	M/SShimla Automobiles, Mohal	3rd leaf center Bolt Rodi spring clamps	1320	Dead Stock Entry
1364	441	21.2.11	M/S Kunjum Motor works Manali	LIJ cross	520	Dead Stock Entry
1370	1465	31.3.11	M/S Shimla Automobiles Nerchock	Various spare parts	2180	Dead Stock Entry
1377	1134	8.12.10	M/S Vidya Motors Manali	Kahza	120	Dead Stock Entry
1378	1135	9.12.10	-do-	Axle, Patta center bolt	950	Dead Stock Entry
1380	2842	9.11.10	M/S Shimla automobiles	Verions spare	7410	Dead Stock Entry
1386	2537	9.11.10	-do-	Cluch wire	720	Dead Stock Entry
1411	355	1.4.10	-do-	LIJ cross	690	Dead Stock entry
1428	1395	19.7.10	-do-	Varins spare	10130	Dead Stock Entry
1466	766	1.10.10.	-do-	-do-	2860	Dead Stock Entry

23 बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए स्की प्रतियोगिता के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए ₹14000/– का भुगतान करनाः–

संस्थान द्वारा रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 120 पर दिनांक 31.3.11 को वाउचर संख्या 1567 व 1569 के अन्तर्गत श्री भाग चन्द व श्री कुशल को दिनांक 18.2.11 में स्की प्रतियोगिता के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुति हेतु क्रमशः ₹9000, ₹5000 का भुगतान किया गया। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि स्की प्रतियोगिता के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिये किए गए भुगतान हेतु आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की गई। अतः उपरोक्त किए गए भुगतान की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

24 मस्ट्रोलों के अन्तर्गत करवाए गए कार्य से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

(क) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 121 पर दिनांक 31.3.13 को वाउचर संख्या 1575 द्वारा मस्ट्रोल संख्या 4009, 1/2011 द्वारा ₹17420/– का भुगतान कारपेन्टरों को लकड़ी का कार्य करने के एवज में किया गया। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मस्ट्रोल में न तो कार्य की मात्रा को दर्शाया गया था और न ही कार्य में प्रयोग की गई विभिन्न प्रकार की मदों का ब्यौरा दिया गया। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य के भुगतान के सम्बन्ध में पावती भी अभिलेख में नहीं पाई गई। अतः किए गए कार्य की मात्रा को स्पष्ट करते हुए प्रयोग किये गये सामान का विवरण तथा भुगतान के सम्बन्ध में पावती को भी मस्ट्रोल के साथ संलग्न करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं।

(ख) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 121 पर दिनांक 31.3.11 को वाउचर संख्या 1576 द्वारा माह 1/2011 के मस्ट्रोल 1/2011 के अन्तर्गत ₹51255/– का भुगतान 11 पेन्टरों को रंग–रोगन का कार्य करने हेतु किया गया। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मस्ट्रोल में किये गये कार्य का विवरण व कार्य में पेन्टरों द्वारा प्रयोग किये गये सामान की प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई। इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल द्वारा करवाए गये कार्य को तकनीकी अधिकारी से सत्यापित भी नहीं करवाया गया है। अतः उपरोक्त किए गए भुगतान ₹51255/– को लोक निर्माण विभाग के अधिकारी से सत्यापित करवाया जाये तथा प्रयोग किये गये सामान की प्राविष्टियों को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाये।

25 ₹172961/– के वाउचरों/मस्ट्रोलों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं करनाः–

खाद्य लेखों (अवधि 4/07 से 3/2013) के अभिलेख की जाँच पडताल करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट XI** में दर्शाए गए विभिन्न वाउचरों/मस्ट्रोलों को जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिन्हें ढूंढ़कर आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

26 प्रोफार्मा बिल/मूल बिल तथा वास्तविक रसीदें तथा दर सूची इत्यादि प्राप्त किए बिना ही भुगतान करनाः–

(क) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 78 पर दिनांक 8.8.11 को वाउचर संख्या 1321 द्वारा अग्रिम ₹139125/– का भुगतान मै0 फीमेट एकयूपमैन्ट, शमसी को उपकरणों की खरीद हेतु किया गया। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त फर्म को अग्रिम भुगतान करने से सम्बन्धित प्रोफार्मा बिल व अग्रिम भुगतान की शर्त संलग्न नहीं थी। अतः उपरोक्त फर्म को बिना प्रोफार्मा बिल व शर्त के अग्रिम भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹139125/– की उपरकणों की खरीद के मूल बिल व सम्बन्धित प्रविष्टियों को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 78 पर दिनांक 8.8.2011 को वाउचर संख्या 1315 के अन्तर्गत ₹12277 का भुगतान मै0 न्सू इण्डिया इशोरेन्स कम्पनी, को किया गया दर्शाया गया है। अभिलेख की छानबीन करने पर पाया गया कि उक्त भुगतान के मूल बिल व वास्तविक रसीद अभिलेख में नहीं पाई गई जिसे प्राप्त करके अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाये।

(ग) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 78 पर दिनांक 8.8.2011 को वाउचर संख्या 1316 द्वारा ₹8860/– का भुगतान मै0 सिविल सप्लाई कारपोरेशन को गैस भरवाने हेतु किया गया जिसके सम्बन्ध में मूल मुद्रित बिल व गैस भरवाने की प्रविष्टि सम्बन्धित अभिलेख में नहीं दिखाए गए। अतः वान्छित अभिलेंख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाए जाने सुनिश्चित किए जाए।

(घ) रोकड वही के पृष्ठ संख्या पर 79 दिनांक 8.8.2011 को मै0 रवि इलैक्ट्रकल भुन्तर को वाउचर संख्या 1322 व 1323 के अन्तर्गत क्रमशः ₹21000 व ₹16636 का भुगतान समरसीवल पम्प व सम्बन्धित सामान के लिए किया गया। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त खरीद से सम्बन्धित पम्प बनाने वाली कम्पनी मै0 क्रापटन ग्रीब्ज द्वारा निर्धारित दरों की

सूची संलग्न नहीं थी जिसके अभाव में अथोराईज्ड डीलर मै0 रवि इलैक्ट्रीकल भुन्तर द्वारा बिल में दर्शाए गये रेट की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त किये गये भुगतान के एवज में सम्बन्धित फर्म से भुगतान की वास्तविक रसीद भी अभिलेख में नहीं पाई गई। अतः वांन्छित अभिलेख प्राप्त करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

(ङ) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 91 पर दिनांक 27.8.11 को वाउचर संख्या 1611, 1614 के अन्तर्गत निम्नलिखित फर्मों को भुगतान किया गया। इन फर्मों के बिल निविदाऐं व स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किए जाए।

बिल सं0	**दिनांक**	**फर्म का नाम**	**(₹)**
7453	15.7.11	मै0 आन्नद इलैक्ट्रीकल	6800
1634	1.6.11	मै0 रूबी इलैक्ट्रीकल	2100

(च) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 55 पर दिनांक 4.7.2012 को वाउचर संख्या 819 से 825 के अन्तर्गत मै0. चण्डीगढ़ मटन एण्ड चिकन शॉप मनाली को चिकन की आपूर्ति हेतु निम्नलिखित भुगतान किया गया।

बिल सं0	**(₹)**
520	592
1000	1480
531	740
525	4440
528	1776
532	2220
535	2072

उपरोक्त चिकन की खरीद करने हेतु मैस इन्चार्ज द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाए जाए इण्डेन्ट (Indent) अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाना सुनिश्चित किया जाए।

(छ) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 68 पर दिनांक 26.7.2012 को वाउचर संख्या 1115 के अन्तर्गत ₹18500/– का भुगतान मै0 ए0बी0सी0 मेटल वर्कस पठानकोट को किया गया। अभिलेख की छानबीन करने पर पाया गया कि उक्त फर्म से भुगतान प्राप्ति की वास्तविक रसीद अभिलेख में नहीं पाई गई। अत उक्त भुगतान की वास्तविक रसीद प्राप्त करके अभिलेख में लगाई जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

27 खाद्य पदार्थो के स्टॉक रजिस्टरों में ₹29920/– की कीमत की खाद्य सामग्री को कम अंकित करनाः–

संस्थान के खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों व इन्डेटों की जाँच पड़ताल करने पर स्टॉक रजिस्टरों में निम्नलिखित मात्रा कम पाई गई जिनकी कुल कीमत ₹298920/– बनती है। इस राशि की उचित माध्यम से वसूली करके खाद्य लेखों में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(क) स्टॉक रजिस्टर संख्या 76 XI के पृष्ठ संख्या 1, 2 पर दिनांक 9.4.07 को आटा 664 कि0ग्रा0 शेष था जबकि दिनांक 23.4.07 को 90 कि0ग्रा0 दर्शाया गया है। इस प्रकार 574 कि0ग्रा0 आटा कम दर्शाया गया जिसकी ₹8.13 प्रतिकि0ग्रा0 के हिसाब से कीमत ₹4667/– बनती है। अतः उपरोक्त कम पाई गई आटे की मात्रा की कीमत की चूककर्ता से वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ख) स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 4 पर दिनांक 18.6.07 को 990 कि0ग्रा0 आटा शेष था लेकिन दिनांक 19.6.07 को 75 कि0ग्रा0 आटा जारी करने के उपरान्त अन्तशेष 815 कि0ग्रा0 दर्शाया गया जबकि भण्डार में 915 कि0ग्रा0 आटा शेष रहना चाहिए था। इस प्रकार 100 कि0ग्रा0 आटा कम दर्शाया गया जिसकी ₹12.45 प्रतिकि0ग्रा0 के हिसाब से कीमत ₹1245 बनती है। अतः उपरोक्त कम पाई गई आटे की मात्रा की कीमत की चूककर्ता से वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ग) स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 4 पर दिनांक 26.6.07 को 50 कि0ग्रा0 आटा शेष था लेकिन दिनांक 27.6.07 को 40 कि0ग्रा0 आटा जारी करने के उपरान्त अन्तशेष 5 कि0ग्रा0 दर्शाया गया जबकि अन्तशेष 10 कि0ग्रा0 रहना चाहिए था। इस प्रकार 5 कि0ग्रा0 आटा कम दर्शाया गया जिसकी ₹12.45 के हिसाब से कीमत ₹62 बनती है। अतः उपरोक्त कम पाई गई

आटे की मात्रा की कीमत की चूककर्ता से वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(घ) स्टॉक रजिस्टर संख्या 76 XIII के पृष्ठ संख्या 7 पर दिनांक 3.9.09 को आटा 2050 कि0ग्रा0 शेष था जब कि बिनांक 4.9.09 को 35 कि0ग्रा0 जारी करने क उपरान्त अन्तशेष 1920 कि0ग्रा0 दर्शाया गया है। इस प्रकार 95 कि0ग्रा0 आटा कम दर्शाया गया जिसकी ₹14. 66 के हिसाब से कीमत ₹1393/– बनती है। अतः उक्त कम पाई गई मात्रा की कीमत की चूककर्ता से वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ङ) स्टॉक रजिस्टर संख्या 76 XIII के पृष्ठ संख्या 175 पर दिनांक 10.6.2001 को चीनी 429 कि0ग्रा0 शेष थी जबकि दिनांक 10.6.09 50 कि0ग्रा0 जारी करने के उपरान्त अन्तशेष 375 कि0ग्रा0 दर्शाया गया है। इस प्रकार 4 कि0ग्रा0 चीनी कम दर्शाई गई जिसकी ₹28 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से कुल कीमत ₹112 की चूककर्ता से वसूली की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(च) स्टॉक रजिस्टर संख्या 76 XI के पृष्ठ संख्या 26 पर दिनांक 10.4.07 को मक्खन 120 कि0ग्रा0 शेष था जब कि आगामी दिनांक 23.4.07 को 73 कि0ग्रा0 दर्शाया गया है। इस प्रकार 47 कि0ग्रा0 मक्खन कम दर्शाया गया जिसकी ₹151.65 के हिसाब से कीमत ₹7127.55 बनती है जिस की चूककर्ता से वसूली करके कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(छ) स्टॉक रजिस्टर 76 XI के पृष्ठ संख्या 171 पर दिनांक 30.6.07 को मिलो 2 कि0ग्रा0 शेष था जबकि 7.7.07 को शेष 1.5 कि0ग्रा0 दर्शाया गया। इस प्रकार 500 ग्रा0 मिलो कम दर्शाया गया, जिसकी ₹182 के हिसाब से कीमत ₹91 बनती है जिसकी चूककर्ता से वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ज) स्टॉक रजिस्टर संख्या 76 XI के पृष्ठ संख्या 158 पर दिनांक 26.6.07 को दूध पाऊडर 177 कि0ग्रा0 शेष था जबकि दिनांक 30.6.07 को 12 कि0ग्रा0 जारी करने के उपरान्त 145 कि0ग्रा0 दर्शाये गये है। इस प्रकार 20 कि0ग्रा0 दूध पाऊडर कम दर्शाया गया जिसकी कीमत ₹176 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से ₹3520/– बनती है। अतः ₹3520/– की वसूली चूककर्ता से करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(झ) स्टॉक रजिस्टर संख्या 76 XI के पृष्ठ 21 पर दिनांक 7.4.07 को बेसन 105 कि0ग्रा0 शेष था जबकि आगामी दिनांक 23.4.07 को 70 कि0ग्रा0 दर्शाया गया है। इस प्रकार 35 कि0ग्रा0 बेसन कम दर्शाया गया जिसकी ₹49 कि0ग्रा0 के हिसाब से कीमत ₹1715 बनती है। अतः

₹1715/– की वसूली चूककर्ता से करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ण) स्टॉक रजिस्टर संख्या 77 XII के पृष्ठ संख्या 291 पर दिनांक 7.4.07 को आलू की मात्रा 50 कि0ग्रा0 शेष थे जबकि 7.4.07 को खपत शून्य दर्शाने के उपरान्त अन्तशेष में भी आलू की मात्रा शून्य दर्शाई गई। इस प्रकार 50 कि0ग्रा0 आलू कम दर्शाए गये जिनकी ₹6.90 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से कुल कीमत ₹345/– बनती है जिस की चूककर्ता से वसूली सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ट) स्टॉक रजिस्टर संख्या 77 XII के पृष्ठ संख्या 293 पर दिनांक 14.6.07 को 200 कि0ग्रा0 आलू शेष थे जबकि दिनांक 18.6.07 को खपत हेतु 92 कि0ग्रा0 आलू जारी करने की उपरान्त अन्तशेष 28 कि0ग्रा0 दर्शाया गया था। इस प्रकार आलू की मात्रा 100 कि0ग्रा0 कम दर्शाई गई जिसकी ₹6.90 प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से कुल कीमत ₹690 बनती है जिस की चूककर्ता से वसूली सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ठ) स्टॉक रजिस्टर संख्या 157 के पृष्ठ संख्या 11 पर दिनांक 9.2.11 को आटा 405 कि0ग्रा0 शेष था जबकि दिनांक 11.2.11 को 25 कि0ग्रा0 आटा जारी करने के उपरान्त अन्तशेष 380 कि0ग्रा0 के साथ बिल संख्या 839 द्वारा खरीदा गया 200 कि0ग्रा0 आटा नहीं जोड़ा गया जोकि प्रविष्टियों को स्कन्ध रजिस्टर में लेखाबद्ध करने में बरती गई लापरवाही को दर्शाता है। अतः कम दर्ज की गई आटे की मात्रा 200 कि0ग्रा0 की ₹14.66 की दर कुल कीमत ₹2932 की चूककर्ता से वसूली की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ड) स्टॉक रजिस्टर संख्या 157 के पृष्ठ संख्या 29 पर दिनांक 7.2.11 को चावल 362 कि0ग्रा0 शेष थे जब कि 12 कि0ग्रा0 चावल जारी करने के उपरान्त अन्तशेष 250 कि0ग्रा0 दर्शाए गए है। इस प्रकार 100 कि0ग्रा0 चावल कम दर्शाए गए जिसकी ₹27/– प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से कीमत ₹2700/– बनती है जिसकी चूककर्ता से वसूली सुनिश्चित करते हुये कृत कार्रवाई से इस विभाग को इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ढ)स्टॉक रजिस्टर संख्या 76 XI के पृष्ठ संख्या 219 पर दिनांक 7.6.07 को चीनी 907 कि0ग्रा0 शेष थी जबकि दिनांक 8.6.07 को 18 कि0ग्रा0 चीनी खपत हेतु जारी करने के उपरान्त 689 कि0ग्रा0 दर्शाई गई। इस प्रकार स्टॉक रजिस्टर में 200 कि0ग्रा0 चीनी कम दर्शाई गई जिसकी ₹16.60 प्रति कि0ग्रा0 की दर से कीमत ₹3320/– बनती है। अतः कम पाई गई चीनी की कुल कीमत ₹3320/– चूककर्ता से वसूली करके कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ञ)स्टॉक रजिस्टर संख्या 158 के पृष्ठ संख्या 9 पर दिनांक 17.6.11 को आटे का शेष शून्य था जबकि दिनांक 18.6.11, 19.6.11, 20.'6.11 को क्रमशः 32 कि0ग्रा0, 75 कि0ग्रा0 व 104 कि0ग्रा0 उपयोग हेतु जारी दर्शाया गया। इस प्रकार आटे की कुल खपत 211 कि0ग्रा0 को दिनांक 21.6.11 को आटे की प्राप्त कुल मात्रा 525 कि0ग्रा0 से खारिज किया गया जोकि नियमानुसार सही नहीं है। अतः स्टॉक में आटे की मात्रा उपलब्ध न होने की स्थिति में 211 कि0ग्रा0 खपत करने व बाद में प्राप्त सप्लाई से खारिज करने के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(त) स्टॉक रजिस्टर संख्या 76XI के पृष्ठ संख्या 177 पर दिनांक 1.5.07 को चुहारा का अन्तशेष 20 कि0ग्रा0 था जिसके स्कन्ध रजिस्टर में जारी किया गया दर्शाया गया है लेकिन चुहारा किस उद्देश्य हेतु जारी किया गया इसका वर्णन नहीं किया तथा Indent संख्या नहीं दर्शाई गई है। अतः उपरोक्त चुहारा की मात्रा 20 कि0ग्रा0 की खपत के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(थ) स्टॉक रजिस्टर संख्या 71, XI के पृष्ठ संख्या 277 में प्याज की माह 4/2007 के दौरान निम्नलिखित खपत दर्शाई गई लेकिन ब्याज की मात्रा जारी करने के सन्दर्भ में उचित अभिलेख/इन्डेन्ट (Indent) की न तो स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की गई थी और नही Indent जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए। अतः बिना Indent के प्याज की खपत करने के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए उचित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

स्टॉक रजिस्टर पृ0सं0	**दिनांक**	**खपत**	**टिप्पणी**
277	3.4.07	40 कि0ग्रा0	जारी किया गया लेकिन Indent संख्या अंकित नहीं की गई
	7.4.07	60 कि0ग्रा0	जारी किया गया लेकिन Indent संख्या अंकित नहीं की गई
	17.4.07	50 कि0ग्रा0	जारी किया गया लेकिन Indent संख्या अंकित नहीं की गई
	21.4.07	50 कि0ग्रा0	जारी किया गया लेकिन Indent संख्या अंकित नहीं की गई
	23.4.07	75 कि0ग्रा0	जारी किया गया लेकिन Indent संख्या अंकित नहीं की गई

30.4.07	50 कि0ग्रा0	जारी किया गया लेकिन Indent संख्या अंकित नहीं की गई
1.5.07	70 कि0ग्रा0	जारी किया गया लेकिन Indent संख्या अंकित नहीं की गई

(द) स्टॉक रजिस्टर संख्या 71, XII के पृष्ठ संख्या 331 में टमाटर की माह 4/07 के दौरान निम्नलिखित खपत की गई लेकिन टमाटर की मात्रा जारी करने के सन्दर्भ में उचित अभिलेख/Indent की न तो स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टी की गई थी और न ही Indent जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए। अतः बिना Indent के टमाटर की खपत करने के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये उचित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

स्टॉक रजिस्टर पृ0सं0	**दिनांक**	**खपत**	**टिप्पणी**
331	18.4.07	10 कि0ग्रा0	Indent की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई
	20.4.07	30 कि0ग्रा0	Indent की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई
	21.4.07	20 कि0ग्रा0	Indent की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई
	23.4.07	30 कि0ग्रा0	Indent की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई
	24.4.07	30 कि0ग्रा0	Indent की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई
	26.4.07	30 कि0ग्रा0	Indent की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई
	27.4.07	30 कि0ग्रा0	Indent की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई
	30.4.07	30 कि0ग्रा0	Indent की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई

28 अन्य विविध अनियमितताएः–

(क) खाद्य लेखों के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में खाद्य लेखों से डुप्लीकेट बिल/वाउचरों पर भुगतान कर दिया गया है जिस के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा मूल बिल/वाउचरों को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वाउचर सं0	रोकड़ वही पृ0सं0	दिनांक	विवरण	राशि
42	8	7.5.08	मस्ट्रोल	1900
1141	90	3.3.10	हि0प्र0 खाद्य एवं आपूर्ति निगम	3488
1147	94	5.11.09	अजय बुक डिपों	150
1150	94	28.3.10	मै0 डी0के0 स्क्रीन	300
1153	94	20.3.10	मै0 हिम जनरल स्टोर	235
1247	98	8.1.10	मै0 फोरमेन गैस रिपेयर शॉप	995
1248	98	18.1.10	मै0 शासनी एन्टरप्राईजिज	950
1250	98	11.1.10	मै0 देवलोक एन्टरप्राईजिज	455
1615 से 1634	93	30.8.11	विभिन्न प्रकार के वाउचर बिल	166383
			कुल योग	**174856**

(ख) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 94 पर दिनांक 17.3.10 को पर वाउचर संख्या 1151 द्वारा ₹10000/– श्री सोहन सिंह ड्राईवर को भुगतान की गई जिसकी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अभिलेख में नहीं पाई गई। अतः अग्रिम भुगतान की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

(ग) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 78 पर दिनांक 8.8.2011 पर वाउचर संख्या 1317 द्वारा ₹17100 का भुगतान श्री कर्मा छेरिंग गांव काईस को राशन इत्यादि की ढुलवाई के लिये किया गया। उक्त भुगतान से सम्बन्धित खच्चरों के अनुमोदित रेट अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाए गये। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित रेट को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि माह 8/2011 के दौरान रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 90 पर निम्नलिखित कर्मचारियों को विभिन्न उद्देश्यों हेतु दी गई अग्रिम राशियों की रिकयूपमैन्ट की गई जिनके समायोजन वाउचर के साथ फुटकर खर्चों को विववरण नहीं दिया गया है। अतः भुगतान किये गये फुटकर खर्चों का विवरण अग्रिम राशियों के समायोजन वाउचरों के साथ दिया जाये तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

नाम	रिकयूपमैन्ट की गई राशि (₹)
श्री सोहन सिंह	34348
श्री बालक राम	26279
श्री विजय सिंह	38774
बिजली के लिए	78373
रेस्कयू पोस्ट बिल	321031
श्री कृष्ण दयाल	254530
श्री नेक राम	62346
कुल योग	**815681**

29 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

30 निष्कर्षः– लेखाओं के रख रखाव और लेखों के बैंक से माहवार मिलान के कार्य में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकनसंख्याः फिन(एल0ए0)(एच)(2)सी(15)(14) 71 / 83 खण्ड–3–2055–2057, दिनांक02.04.2014, शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत :–1 निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली जिला कुल्लू, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2 अतिरिक्त सचिव युवा सेवाएं एवं खेल हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

3 श्री मोहिन्द्र कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा................

हस्ता / –

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.